राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(176)नविवि/3/1984 पार्ट-1 जयपुर, दिनांकः 31 JUL 2018

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट/1510–30 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15.02.2018 को माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय को अनुपालना में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैः–

1. नगरीय निकायों द्वारा आवंटित किये गये या विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने बाबत्–

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14–ए के अंतर्गत नीलामी के द्वारा आवासीय या व्यावसायिक भूखण्ड विक्रय किये जाते है, उनमें निर्माण की अवधि निम्न प्रकार निर्धारित की हुई हैः–

(I). 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्माण अवधि 3 वर्ष, 1000 से 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर निर्माण अवधि 5 वर्ष, तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों पर निर्माण अवधि 7 वर्ष में भवन निर्माण किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करता है, तो भूखण्ड की नीलामी निरस्त हो जाती है। तत्पश्चात उसे नियमन करने हेतु पेनल्टी आरक्षित दर की 1 प्रतिशत वार्षिक आधार पर ली जाती है। यह छूट 3 वर्ष तक दी जा सकती है।

(II). इस प्रकार नियम 17 (6)(बी) में आवंटन के प्रकरणों में निर्माण 2 वर्ष में आवश्यक है, इस अवधि में निर्माण नहीं करने पर आरक्षित दर का 5 प्रतिशत शास्ति लेकर 1 वर्ष तक अध्यक्ष तत्पश्चात 2 वर्ष तक न्यास एवं उसके पश्चात राज्य सरकार नियमन कर सकती है। निर्माण की अवधि कब से गणना की जावें, इस संबंध में योजना क्षेत्र में और आस–पास के क्षेत्र में सड़क, पेयजल, विद्युत वितरण व्यवस्था अथवा कब्जे की तिथि जो बाद में हो, इस बाबत् प्राधिकरण/न्यास स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो यह रिपोर्ट करेगी कि योजना को विकसित कब से माना जावें। तद्नुसार ही निर्माण की अवधि की गणना की जावेगी।

2. गाडिया लुहारों को 50 वर्गमीटर तक निःशुल्क आवंटन किये जाते है इस संबंध में स्थाई व्यवस्था निम्न प्रकार की जाती हैः–

राज्य सरकार द्वारा गाड़ियां लुहारों को 50 वर्गगज भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन करने के आदेश समय–समय पर जारी किये जाते है और इसी प्रकार राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सदस्यों को भी आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन किये जाने के आदेश समय–समय पर जारी किये गये हैं। इन आदेशों के द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने की अवधि एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.18 तक बढ़ायी जाती है।

(I) जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर सुधार न्यास एवं सभी स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्र में गाड़ियां लुहारों तथा राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अवशेष रहे परिवारों को आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन करेंगे। निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले आवासीय भूखण्ड का आकार 50 वर्गगज होगा।

(II). इन जातियों के एक परिवार को केवल एक ही आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटित होगा। यदि किसी परिवार के पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा 50 वर्गगज या इससे अधिक आवासीय भूमि उपलब्ध है तो वह इस आदेश के अंतर्गत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा।

(III). इन जातियों के आवास हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(IV). नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे उक्त जातियों के ऐसे परिवार भी चिन्हित किये जावें जिनके पास कोई आवासीय मकान या आवासीय भूमि नहीं है।

(v). नगरीय निकाय के द्वारा इन जातियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करके आरक्षित रखी जायेगी और उस पर अन्य किसी का अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नगरीय निकाय के द्वारा की जायेगी।

(vi) आवेदन प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि में उक्त जातियों के पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र पट्टे आवंटित किये जावें।

(vii) भूमि आवंटन के लिये पात्रता पर उक्त जातियों का सदस्य होना एवं उसका प्रमाण पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी ही सक्षम होगें।

(viii) राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों में केवल वे जातियां शामिल मानी जायेगी जिन्हें समाज कल्याण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा अधिसूचना के जरिये शामिल किया गया है।.

(ix) निःशुल्क भूमि के आवंटन के पश्चात् पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक भूखण्ड का बेचान अन्य किसी को नहीं कर सकेगा। इस शर्त का उल्लेख पट्टे में आवश्यक रूप से किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

31/7/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव--प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
8. सलाहकार (टाउन प्लानिंग) नगरीय विकास विभाग।
9. सलाहकार (विधि) नगरीय विकास विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

31/7/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम